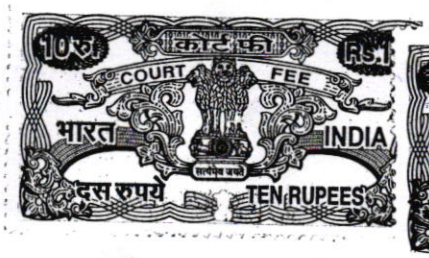

निग – 1491 – I – 16

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल , ग्वालियर (म.प्र.)

रा.प्र.क................../2016

आवेदक	:–	कज्जू उर्फ कदीर खान पिता श्री स्व.नसीर खान निवासी मकान नं. 243 आदर्श नगर कुरैशी मार्बल के पीछे तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
		विरूद्ध
अनावेदकगण	:–	(1) ताहिर खान पार्षद, मोतीलाल नेहरू वार्ड जबलपुर (म.प्र.)
		(2) गुलाम हुसैन , पार्षद लाल बहादुर शास्त्री वार्ड जबलपुर (म.प्र.)
		उपरोक्त दोनो पार्षद अंतर्गत, नगर निगम जबलपुर

आवेदन पत्र वास्ते धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय तहसीलदार गोहलपुर संभाग गोहलपुर जबलपुर (म.प्र.) में लंबित प्रकरण कमांक रा.प्र.कं..–10/री.तह.गोह./2015 के आदेश दिनांक 31.12.2015 के आदेश से व्यथीत होकर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है :–

प्रकरण में तथ्य निम्नानुसार है :–

1. यह कि आवेदक की भूमि मौजा बेतला, सुभाषचन्द्र बोस वार्ड जबरन नगर तहसील व जिला जबलपुर में नं.बं. 52, प.ह.नं. 22/25 खसरा नं. 189/112 का रकवा 900 वर्गफुट जो कि श्रीमति शाहजहां बेगम उम्र 52 वर्ष पति शमसुद्दीन एवं श्री बिलाल अहमद उम्र 25, वर्ष पिता शमसुद्दीन दोनो निवासी 2772/1 दुर्गा नगर पुरानी बस्ती अब्दुल हमीदवार्ड जबलपुर से कय की है। तथा रकवा 2100 वर्गफुट भूमि श्रीमति हज्जन हाजरा बी उम्र 58 वर्ष पति स्व. अब्दुल हमीद निवासी अहमद नगर कटरा, सुभाष वार्ड नया अब्दुल हमीद वार्ड की

NOTARY
MOHAMMED ASHFAQUE
JABALPUR DIST. M.P.
Regd. No. 7829

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1491-एक/16 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी तहसीलदार गोहलपुर जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 10/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।	
	2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शासकीय श्मशान घाट की भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किए जाने के संबंध में अतिक्रमण रोकने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 31.12.2015 द्वारा स्थगन आदेश जारी कर निर्माण कार्य को तत्काल बंद किए जाने का आदेश दिया। तहसीलदार गोहलपुर के इसी स्थगन आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।	
	3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई है।	
	4/ अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है। पारित आदेश में तहसीलदार ने उनके समक्ष यह तथ्य आने पर कि आवेदक द्वारा शासकीय श्मशान घाट की भूमि पर अवैध मस्जिद का निर्माण किए जाने के कारण प्रकरण दर्ज कर हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन लिए जाने के आदेश दिए हैं एवं स्थगन आदेश जारी किया गया है। आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया है। आवेदक को चाहिए कि वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत	

XXIX(a)-BR(H)-11

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	करते, परंतु ऐसा न करते हुए इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि वह येन केन प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे आदेश की प्रति प्राप्त होने पर तीन माह के अंदर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	